



नविवारक नरिध हेतु नए मानक

प्रलमिस के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय, नविवारक नरिध, वदिशी मुद्रा संरक्षण और तसकरी नविवरण अधनियम, 1974, अनुच्छेद 22 (5), मौलिक अधिकार, संसद, राज्य वधानमंडल, 44वाँ संशोधन अधनियम, 1978, गैर-कानूनी गतविधियाँ रोकथाम अधनियम (UAPA), 1967, अनुच्छेद 21।

मेन्स के लयि:

नविवारक नरिध कानूनों के साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संतुलित करने में न्यायपालिका की भूमिका।

स्रोत: हडिस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, 22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024, 2024 22/07/2024 सर्वोच्च न्यायालय (SC) द्वारा नविवारक नरिध हेतु नए मानक स्थापति कयि गए।

- यह फैसला वदिशी मुद्रा संरक्षण और तसकरी नविवरण अधनियम (COFEPOSA), अधनियम, 1974 के तहत नविवारक नरिध आदेश द्वारा अस्तित्व में आया, जसि केरल उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।

नविवारक नरिध हेतु नए मानक क्या हैं?

- नषिपक्ष और प्रभावी अवसर: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा हरिसत में लयि गए व्यक्ति को हरिसत के लयि आवश्यक सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध करानी होंगी और ऐसा नहीं कयि जाने पर हरिसत को अमान्य कर दिया जाएगा।
- संवैधानिक अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक सर्वोपरि संवैधानिक अधिकार है। हरिसत को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के लयि सभी प्रासंगिक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करने में वफिलता संवधान के अनुच्छेद 22 (5) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगी।
- गैर-मनमाने कार्यवाहियाँ: प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मनमाने कार्यों से बचें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी चरणों में हरिसत में लयि गए व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान कयि जाए।
 - इसमें गरिफ्तार कयि गए व्यक्ति समझ में आने वाली भाषा में दस्तावेज प्रस्तुत करना शामिल है।
- अनावश्यक रूप से हुई देरी: अधिकारियों को अनावश्यक रूप से हुई देरी से बचने के लयि उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, हरिसत से संबंधित सूचना समय पर सुनिश्चित करनी चाहयि।

गरिफ्तारी और नज़रबंदी के वरिद्ध संरक्षण के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- संवैधानिक आधार: भारतीय संवधान का अनुच्छेद 22 गरिफ्तार या हरिसत में लयि गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है।
 - ये प्रावधान गरिफ्तारी या नज़रबंदी की वभिन्न परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
 - नज़रबंदी के प्रकार: नज़रबंदी दो प्रकार की होती है।
 - दंडात्मक नरिध (Punitive Detention): किसी व्यक्ति को उसके द्वारा कयि गए अपराध के लयि न्यायालय में सुनवाई और दोषसिद्धि के पश्चात दंडित कयि जाता है। यह वधिद्वारा स्थापति प्रक्रिया का पालन करता है।
 - नविवारक नरिध (Preventive Detention): इसमें किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे या दोषसिद्धि के हरिसत में लयि जाता है, जसिका उद्देश्य भविष्य में अपराध को रोकना होता है। यह नरिध संदेह के आधार पर होता है और संभावित नुकसान से बचने के लयि एहतियाती उपाय के रूप में कार्य करता है।
 - अनुच्छेद 22 के भाग: अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं।
 - पहला भाग: पहला भाग सामान्य कानून के तहत अधिकारों (शत्रु वदिशी या नविवारक नरिध कानूनों के तहत हरिसत में लयि गए व्यक्तियों

को छोड़कर सभी अधिकारों में शामिल हैं) से संबंधित है, न की नकारक नरीध से।

- **कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार** : गरिफ्तार व्यक्ति को **कानूनी सलाहकार से परामर्श लेने** और बचाव का अधिकार है।
- **त्वरित न्यायिक समीक्षा का अधिकार** : उन्हें **गरिफ्तारी के 24 घंटे** के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
- **लंबे समय तक हिरासत में रखने के विरुद्ध अधिकार** : उन्हें **24 घंटे के बाद रद्द कर** दिया जाना चाहिये, जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे भी हिरासत में रखने का आदेश न दे।
- **दूसरा भाग: यह विशेष रूप से नकारक नरीध कानूनों के तहत सुरक्षा से संबंधित है, जो नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों पर लागू होता है।**
 - **बना समीक्षा के अधिकतम हिरासत अवधि** : किसी व्यक्ति की हिरासत **तीन महीने** से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड (बोर्ड में **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे**) वसितारति हिरासत के लिये पर्याप्त कारण न बताए।
 - **हिरासत के आधार की जानकारी** : हिरासत के आधार की जानकारी हिरासत में लिये गए व्यक्ति को दी जानी चाहिये। हालाँकि सार्वजनिक हित के विरुद्ध माने जाने वाले तथ्यों का खुलासा करना ज़रूरी नहीं है।
 - **प्रतिनिधित्व का अधिकार** : हिरासत में लिये गए व्यक्ति को **नज़रबंदी आदेश के विरुद्ध प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाना** चाहिये।
- **नकारक नरीध पर वधायी शक्तियाँ** : संसद को **रक्षा, वदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा** से जुड़े कारणों के लिये नकारक नरीध पर कानून बनाने का **विशेष अधिकार** है।
 - **संसद तथा राज्य विधानमंडल** दोनों ही राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा **समुदाय के लिये आवश्यक आपूर्तियों और सेवाओं** को बनाए रखने से संबंधित कारणों से नकारक नरीध का कानून **एक साथ** बना सकते हैं।
- **नियंत्रण हेतु संसद की शक्ति** : अनुच्छेद 22 संसद को यह नरीधारति करने का अधिकार देता है कि:
 - वे **परिस्थितियाँ और मामलों के वर्ग** जिनमें किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किये बिना नकारक नरीध कानून के तहत **तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है**;
 - वह **अधिकतम अवधि** जिसके लिये किसी व्यक्ति को नकारक नरीध कानून के तहत किसी भी वर्ग के मामलों में **हिरासत में रखा जा सकता है**; तथा
 - किसी जाँच में **सलाहकार बोर्ड** द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
- **प्रमुख संशोधन: 44 वें संशोधन अधिनियम, 1978** ने सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किये बिना हिरासत की अवधि को **तीन महीने से घटाकर दो महीने** कर दिया है।
 - हालाँकि यह प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसलिये तीन महीने की मूल अवधि अभी भी जारी है।
- **भारत में नकारक नरीध कानून** : राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध को रोकने के लिये संसद द्वारा कई नकारक नरीध कानून बनाए गए हैं। **उदाहरण**:
 - आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा), 1971 (**1978 में नरिस्त**)
 - वदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी नरीध अधिनियम (COFEPOSA), 1974
 - **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980**
 - आतंकवादी एवं वधिवंसकारी गतिविधियाँ नरीधक कानून (TADA) 1985 (**1995 में नरिस्त**)।
 - आतंकवाद नरीधक अधिनियम (POTA), 2002 (**2004 में नरिस्त**)
 - **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967** (वर्ष 2004, 2008, 2012 और 2019 सहित कई बार संशोधित)।
- **भारत में नकारक नरीध की आलोचना** : विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने नकारक नरीध को संविधान का अभिन्न अंग नहीं बनाया है, जैसा कि भारत में किया गया है।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अज्ञात है।
 - इसका प्रयोग ब्रिटन में केवल **प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान किया गया था।
 - भारत में नकारक नरीध **ब्रिटिश शासन** के दौरान भी मौजूद था। उदाहरण के लिये बंगाल राज्य कैदी विनियमन, 1818 और भारत रक्षा अधिनियम, 1939 में नकारक नरीध का प्रावधान था।

नकारक नरीध कानून से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- **कानून का दुरुपयोग** : नकारक नरीध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ मौजूद है, लेकिन राजनीतिक लाभ या मुक्त भाषण को **नियंत्रित करने** के लिये इसका दुरुपयोग चर्चा का विषय है।
 - **उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहाँ स्थानीय क्रिकेट विवाद** जैसे मामूली मुद्दों पर नकारक नरीध लागू किया गया तथा इसके दुरुपयोग की संभावना भी दिखाई देती है।
- **नियंत्रण और संतुलन का अभाव** : सीमिति न्यायिक निगरानी के साथ हिरासत में रखने की व्यापक शक्तियों से प्राधिकार के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है।
 - **न्यायिक जाँच** का दायरा यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का पालन किया गया है, लेकिन **हिरासत के गुण-दोष को सुनिश्चित करना इसमें शामिल नहीं है**।
- **पारदर्शिता का अभाव** : असहमति को रोकने के लिये बार-बार हिरासत में लेने का प्रयोग, अधिक **जवाबदेही** की आवश्यकता को दर्शाता है।
- **औपनिवेशिक युग के कानून** : कुछ नकारक नरीध कानून औपनिवेशिक काल के हैं जो आधुनिक मानवाधिकार मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

नकारक नरीध से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक मामले कौन से हैं?

- **1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968**

की सत्यता की जाँच करने के लिये सक्षम नहीं हैं जो हरिसत का आधार बनते हैं।

◦ इससे नविवारक नरिध मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमिति भूमिका का संकेत मलित है।

- **1975**: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि **आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) 1971** के तहत नज़रबंदी के आधार की वैधता का आकलन करने की शक्ति उसके पास नहीं है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हरिसत में लेने वाले प्राधिकारी का नरिणय अंतमि होता है तथा न्यायालय अपने नरिणय को परतस्थिति करने में असमर्थ होते हैं।
- **1981**: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नविवारक नरिध कानून **संसदीय प्रणाली** के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
 - हालाँकि इसने फैसला सुनाया कि यह मुद्दा **राजनीतिक प्रकृतिका** है, इसलिये यह न्यायपालिका की नहीं, बल्कि **वधियिका** की ज़म्मेदारी है।
- **2011**: सर्वोच्च न्यायालय ने नविवारक नरिध को **"लोकतांत्रिक वधिरों के परतकिल"** कहा तथा **अनुच्छेद 21** (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन होने से बचने के लिये इसे संकीर्ण सीमाओं के भीतर लागू करने का आग्रह किया।
- **2014**: मद्रास उच्च न्यायालय ने दोहराया कि नविवारक नरिध का उद्देश्य **राज्य को होने वाले नुकसान को रोकना है, न कि बंदी को दंडित करना**।
 - हरिसत में लेने का नरिणय **राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, वधिश्री मामले और सामुदायिक सेवाओं** जैसे मानदंडों के अंतर्गत प्राधिकारी की **व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित होता है**।
- **2019**: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि नविवारक नरिध **किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है** जिसे लापरवाहीपूर्वक आरोपित से नहीं किया जा सकता।
- **2021**: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि जब कोई व्यक्ति पहले से ही हरिसत में हो तो नविवारक नरिध का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।
 - न्यायालय ने कहा कि यदि हरिसत में लिये गए व्यक्तियों के कार्योंसे **व्यापक सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं फैलती है या सामाजिक शांति भंग नहीं होती है**, तो उसे नविवारक नरिध कानूनों के तहत हरिसत में लेने का कोई वैध आधार नहीं है।

नषिकर्ष

यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा नविवारक नरिध की अनुमति दी गई है, लेकिन इसे अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिये खतरा माना जाता है। अनरितरति प्राधिकरण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, जिसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, जबकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिये आवश्यक है। नषिकर्ष प्रक्रियाओं की गारंटी देने, दुरुपयोग को रोकने और सुरक्षा तथा मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाने हेतु सुधार आवश्यक हैं। आधुनिक भारत में नविवारक नरिध को नषिकर्ष और उचित बनाने के लिये, औपनवशिक युग के कानून का गहन परकिषण एवं अद्यतन की आवश्यकता है।

प्रश्न: भारत में नविवारक नरिध से संबंधित संविधानिक प्राधानों का परकिषण कीजिये। नविवारक नरिध के संबंध में न्यायपालिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में किस प्रकार मदद करती है?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न:

प्र. रॉलेट अधिनियम का उद्देश्य था: (2012)

- (a) युद्ध प्रयासों के लिये अनविरय आर्थिक सहायता प्रदान करना
- (b) परीक्षण के लिये परीक्षण और सारांश प्रक्रियाओं के बिना कारावास
- (c) खलिफत आंदोलन का दमन करना
- (d) प्रेस की स्वतंत्रता पर परतबिध लगाना

उत्तर: (B)

प्रश्न. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? (2009)

- (a) इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया
- (b) इसने भारतीय पारंपरिक शक्ति को दबा दिया
- (c) इसने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने के लिये अधिकृत किया
- (d) इसने ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर अंकुश लगाया

उत्तर: (c)

?????

प्रश्न: भारत सरकार ने हाल ही में गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 और NIA अधिनियम में संशोधन करके आतंकवाद वसिधी कानूनों को मज़बूत किया है। मानवाधकार संगठनों द्वारा UAPA के वसिध के दायरे और कारणों पर चर्चा करते हुए मौजूदा सुरक्षा माहौल के संदर्भ में, इन परिवर्तनों का वसिलेण कीजिये। (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-standards-for-preventive-detention>

